न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 6746/2022/बस्ती
जानकी प्रसाद चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट कटौधा बस्ती द्वारा अध्यक्ष शैलेश कुमार चौधरी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 02/07/2022

ग्राम गनेषपुर तप्पा गनेषपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
निर्णय

वादी जानकी प्रसाद चैधरी चेरिटेबल ट्रस्ट कटौधा बस्ती द्वारा अध्यक्ष शैलेश कुमार चैधरी पुत्र राम चरित्र चैधरी साकिन कटौधा तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि मे से रकबा 0.24075 हे0 भूमि स्थित ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती को अकृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमंे उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर वादी द्वारा मकान बनाकर आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख गें आवासीय प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।
वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली मंे संलग्न तहसीलदार सदर बस्ती की आख्या दिनांक 12.06.2022 को अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 303 के गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि पर वादी का वादी का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि मे से रकबा 0.24075 हे0 भूमि पर वादी द्वारा मकान बनाकर आवासीय रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त विवादित भूमि को आवासीय प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में कि ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 303 के गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि पर वादी का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार उक्त आराजी गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि मे से रकबा 0.24075 हे0 भूमि पर वादी द्वारा मकान बनाकर आवासीय रूप में उपयोग किया जा रहा है। नियमानुसार एक प्रतिशत न्याय शुल्क स्टाम्प संख्या ए063517, ए063518 मु0 5000 रूपये प्रति स्टाम्प, ए067209-ए067224 मु0 1000 रूपये प्रति स्टाम्प, 682839 मु0 100 रूपये का स्टाम्प तथा 130 रूपये का टिकट न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में सलग्न है। वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
अतः ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 303 के गाटा संख्या 2589स/12.6240 हे0 भूमि मे से रकबा 0.24075 हे0 भूमि को 80(1) के तहत आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक सदर बस्ती को भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।
दिनांकः 02 जुलाई,2022

उप जिलाधिकारी,

सदर बस्ती

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"